

सूचना

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 201 के अनुपालन में एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि धारा 197 की अनुसूची V तथा अन्य लागू प्रावधानों के अन्तर्गत श्री अजय कौल, सीईओ के साथ पूर्णकालिक निदेशक के लिए 1 अप्रैल, 2016 से पारिश्रमिक के भुगतान हेतु कम्पनी द्वारा भारत सरकार को आवेदन करने का प्रस्ताव है।

श्री अजय कौल, सीईओ के साथ पूर्णकालिक निदेशक के पद पर पुनः नियुक्ति की सिफारिश नामांकन, पारिश्रमिक एवं मुआवजा समिति तथा निदेशक मंडल द्वारा 05 फरवरी, 2015 को आयोजित समिति की बैठक में की गई है, इस प्रस्ताव के माध्यम से पुनः नियुक्ति के साथ पारिश्रमिक एवं उनके नियमों और शर्तों को 03 सितम्बर, 2015 को आयोजित कम्पनी की 20वीं वार्षिक आम सभा में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया गया।

उपरोक्त सूचना में वर्णित प्रस्ताव के प्रति यदि किसी भी सदस्य को कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी लिखित आपत्ति को इस सूचना के प्रकाशन से 30 दिनों के भीतर सचिव, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचित कर सकता है।

उपरोक्त जानकारी कम्पनी की वेबसाइट www.jubilantfoodworks.com पर भी उपलब्ध है।

कृते जुबिलैंट फूडवर्क्स लिमिटेड

हस्ता / —

(मोना अग्रवाल)

कम्पनी सचिव

दिनांक : 19 फरवरी, 2016

स्थान : नोएडा (उ.प्र.)